

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग

जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक, सी-स्कीम, जयपुर-302005

दूरभाष सं. 0141-2229314, 2226728 ईमेल:dlbrajasthan@gmail.com वेबसाइट : www.lsgraj.in

क्रमांक : भूमि/एफ.7(ड)( )डीएलबी/2025/ 1541

जयपुर, दिनांक: 27-03-2025

आदेश

बजट घोषणा वर्ष 2025-26 दिनांक 12.03.2025 के तहत राजस्थान नगरपालिका अकृषि भूमि का अभ्यार्षण एवं फ्री होल्ड पट्टा) नियम 2015 के नियम 9 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार निर्देश जारी करती है कि निम्नांकित तालिका में वर्णित स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उनके सम्मुख दर्शाये गयी सीमा से अधिक क्षेत्रफल के लिए पट्टा-विलेख राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात जारी किये जायेंगे :-

तालिका

स्थानीय प्राधिकारी	आवासीय	गैर आवासीय
विकास प्राधिकरण मुख्यालयों पर स्थित नगर निगम में	25,000 वर्गमीटर	10,000 वर्गमीटर
नगर विकास न्यास मुख्यालयों पर स्थित नगर निगम/परिषद्/पालिका में	10,000 वर्गमीटर	5,000 वर्गमीटर
अन्य समस्त नगरीय निकायों में	5,000 वर्गमीटर	2,500 वर्गमीटर

राज्यपाल की आज्ञा से



इन्द्रजीत सिंह

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : भूमि/एफ.7(ड)( ) डीएलबी/2025/1542-1848 दिनांक : 27.03.2025

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राज. सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
6. आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका, समस्त राजस्थान।
7. सुरक्षित पत्रावली।



निदेशक एवं विशिष्ट सचिव